हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	चूनाराम वगै0 बनाम् नारायण वगै0 दावा मुकदमा नं0 205/2002 बी0टी0 नम्बर 492/2017 संशोधित शीर्षक भी पेश किया जो शामिल पत्रावली किये गये। पक्षकारान् ने स्टाम्प भरने हेतु सहमत होने बाबत अपनी सहमति पत्रावली पर अंकित की है। पक्षकारान् के निवेदन पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 के मध्य आपस में राजीनामा हो चूका है। प्रतिवादी नम्बर 2 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही पूर्व में अमल में लाई जा चूकी है। वादीगण साक्ष्य में हणमान, घीसाराम, मोहरू के बयान कलमबद्ध किये जाकर साक्ष्य वादीगण बन्द की जा चूकी है। प्रकरण दिनांक 02.09.2002 से बहस में विचाराधीन है। प्रकरण के बहस में विचाराधीन होने से एंव पक्षकारान् के निवेदन पर प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर लोक अदालत की भावना से निस्तारण किया जाना उचित समझता हूँ। प्रकरण का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार से है कि भूमि पुराने खसरा नम्बर 274 रकबा 7 बीघा 1 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 716 कुल रकबा 1.30 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम मोदयाड़ी तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित है। वादीगण एंव प्रतिवादी न. 1 एक ही पिता रणमल की जायन्दा सन्तान है। जिनका संयुक्त हिन्दू परिवार था तथा शामलाती रूप से शामंलाती परिवार की कमाई से ही वर्ष 1979 में उक्त वर्णित भूमि खरीद किया था परन्तु प्रतिवादी के बड़ा होने से तथा परिवार का मुखिया व कर्ता होने से इस भूमि की खातेदारी प्रतिवादी न.1 के नाम ही दर्ज करवाई थी। वर्ष 1980 में प्रतिवादी व वादीगण के परिवार मे ताउ लिखमा जिसके कोई जायन्दा लड़का नहीं था ने प्रतिवादी नारायण को गोद ले लिया उसके बाद वर्ष 1980 से ही प्रतिवादी अपने दत्तक पिता लिखमा के पास चला गया। जिसके कारण उक्त भूमि से प्रतिवादी न. 1 का कोई सम्बन्ध नहीं रहा। वर्ष 1980 से उक्त भूमि पर अकेले वादीगण ही काबिज काश्त चले आ रहे है	हनुमान विनोद प्रमोद कि[illegible] कि[illegible]

Scanned by CamScanner

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

ाय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीक

चूनाराम वगै0 बनाम् नारायण वगै0
दावा बमुकदमा नं0 205/2002
बी0टी0 नम्बर 492/2017

मा .... नं. .... सन् ....

क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर अहका हुक्म व में ज
	तथा यह वादीगण की खरीदशुदा भूमि है जिसके वादीगण काबिज खातेदार काश्तकार हो चूके है। इस आशय की घोषणा करवाने के अधिकारी है। उक्त भूमि को वादीगण ने स्वंय के खर्चे से उन्नत व उपजाउ बनाया है एवं चाह कुआ बनाया है। विधुत पम्पसैट लगा रखा है। अपने रिहायस हेतु विवादित भूमि पर खाम, गुवाड़ी बनाकर परिवार सहित आबाद है। वादीगण ने प्रतिवादी को विवादित भूमि की खातेदारी अपने नाम करवाने हेतु कहा तो पहले तो वादी को हॉ करता रहा परन्तु अब प्रतिवादी न. 1 ने दिनांक 10.11.2000 को वादीगण के नाम भूमि की खातेदारी दंर्ज कराने से स्पष्ट इन्कार होने पर दावा पेश करने लाजिम आया है। वादीगण ने प्रतिवादी न. 1 के नाम दर्ज खातेदारी भूमि का वादीगण को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने हेतु निवेदन वादपत्र में किया है। वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज नहीं होने से वादीगण को राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। इसलिए वादीगण उक्त भूमि की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी होने से वादपत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 के मध्य आपस में राजीनामा हो चूका है तथा प्रतिवादी नं. 2 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही पूर्व में अमल में लाई जा चूकी है। प्रकरण में प्रतिवादी न. 1 के द्वारा भूमि कय की जाना एंव प्रतिवादी न. 1 के अपने ताउ लिखमाराम पुत्र गणेशराम यादव के जरिये रजिस्टर्ड दत्तक ग्रहण पत्र गोदनामा दिनांक 30.12.999 के द्वारा गोद चले जाना पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् से	

Scanned by CamScanner

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

चूनाराम वगै0 बनाम् नारायण वगै0
दावा मुकदमा नं0 205/2002
बी0टी0 नम्बर 492/2017

सिद्ध होता है। प्रतिवादी न. 1 के द्वारा उक्त भूमि क्रय किये जाने से उक्त भूमि पैत्रृक नहीं होना भी सिद्ध होता है। उक्त भूमि को परिवार के संयुक्त कोष से क्रय किया जाना वादीगण सिद्ध नहीं कर पाये है। ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य रिकार्ड पर उपलब्ध नहीं है एंव ना ही ऐसा कोई साक्ष्य गवाहान् ही वादीगण ने पेश किया है जो उक्त भूमि को संयुक्त कोष से क्रय किया जाना साबित होता हो एंव वादपत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती हो।

अतः वादीगण द्वारा पेश वादपत्र न्याय आपके द्वार अभियान–2018 में आयोजित राजस्व लोक अदालत कैम्प –हथौरा में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर इस शर्त पर डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि भूमि खसरा नम्बर 716 रकबा 1.30 हैक्टर अवस्थित तन ग्राम हथौरा तहसील श्रीमाधोपुर का वादीगण न. 1, 1/1, 1/4 व 2 व 3 को बहिस्सा बराबर–बराबर (1/4, 1/4) हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त खसरा नम्बर से प्रतिवादीगण न. 1 का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाता है। उक्त घोषित रकबा 1.30 हैक्टर की वर्तमान प्रचलित डी0एल0सी0 दरों पर स्टाम्प ड्यूटी जमा होने पर ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही की जावे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 05.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर अटल सेवा केन्द्र–हथौरा के मजमे–ए–आम में सुनाया गया।

(ब्रहम लाल जाट)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः–हथौरा

आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)